रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270464
CG-DL-E-25022026-270464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 953]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947
No. 953]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 997(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 61 (राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२) के २३२.०० कि.मी. से २८४,००० कि.मी. (कल्याण से आंध्र प्रदेश बॉर्डर रोड सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने / चार लेन का बनाने, बायपासों सहित, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है। जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इककीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्तेक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात, उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमी के भूरेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरिक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या २२२ के २३२.०० कि.मी.से २८४,००० कि.मी. (कल्याण से आंध्र प्रदेश बॉर्डर रोड सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने / चार लेन का बनाने, बायपासों सहित, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित हित के अधिग्रहण की भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: बीड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अष्टि					
गांव का नाम: पिंपळगाव घाट					
1	14/3	निजी	कृषीक	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
				Total	**0.1**

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2013-NHDP-IV A/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 997(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 61 (old NH 222), of the stretch of land from Km. 232.000 to Km. 284.000 (Kalyan to Andhra Pradesh Border Road Section) in the District of Beed in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer, Patoda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of NH-61 (old NH 222) Km. 232.000 to Km. 284.000 (Kalyan to Andhra Pradesh Border Road Section) in the District &Taluka Ahmednagar in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: BEED**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ashti					
Village: Pimpalgaon Ghat					
1	14/3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
				Total	**0.1**

[F. No. RW/NH-37014/18/2013-NHDP-IV A/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.25 15:59:19 +05'30'